



उत्तराखण्ड सरकार

कार्यालय महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड

सूचना भवन, मसूरी बाईपास, लाडपुर, रिंग रोड, देहरादून

E-mail: infodg.uk@gmail.com, dg-info-uk@nic.in

दूरभाष : 0135-2662971 / फ़ैक्स : 2662334

पत्रांक : 829 / सू.एवंलो.स.वि.(प्रशा.)-35 / 2003

दिनांक : 31 जुलाई, 2023

कार्यालय आदेश

अनुसचिव, सूचना अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या: 126992/2023, दिनांक 01 जून, 2023 के माध्यम से प्राप्त अपर मुख्य सचिव, वित्त ऑडिट प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या: 34472(144)/2023, दिनांक 22 मई, 2023 के अनुक्रम में सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड के अन्तर्गत निम्नानुसार विभागीय लेखा परीक्षा उप समिति का गठन किया जाता है:-

1. विभागाध्यक्ष अध्यक्ष
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), उत्तराखण्ड के प्रतिनिधि सदस्य
3. वित्त नियंत्रक/वरिष्ठ वित्त अधिकारी सदस्य
4. श्री नितिन उपाध्याय, संयुक्त निदेशक (विभागाध्यक्ष द्वारा नामित) सदस्य सचिव
5. आहरण वितरण अधिकारी सदस्य
2. उपरोक्तानुसार गठित समिति अनिवार्य रूप से प्रत्येक त्रैमास में कम-से-कम एक बैठक आयोजित करेगी।
3. समिति महालेखाकार (लेखा परीक्षा) कार्यालय/आंतरिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट में इंगित आपत्तियों को शासन स्तर पर गठित विभागीय लेखा परीक्षा समिति के सम्मुख विस्तृत आख्या प्रस्तुत करेगी।
4. निदेशालय लेखा परीक्षा के द्वारा निर्गत आंतरिक लेखा परीक्षा आपत्तियों/रिपोर्टों पर समिति के कार्यवृत्त सहित अनुपालन आख्या उपलब्ध करायेंगे।
5. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) द्वारा सम्पादित लेखा परीक्षा तथा आंतरिक लेखा परीक्षा में पायी गयी गम्भीर वित्तीय आपत्तियों को विभागीय लेखा परीक्षा उप समिति द्वारा शासन स्तर पर गठित विभागीय लेखा परीक्षा समिति आडिट समिति के सम्मुख प्रस्तुत किये जायेंगे।
6. विभाग स्तर पर महालेखाकार (लेखा परीक्षा) एवं आन्तरिक लेखा परीक्षा हेतु निम्नलिखित प्रारूप में रजिस्टर रखा जायेगा :-

क्र. स.	आडिट निरीक्षण का वर्ष	आडिट रिपोर्ट उल्लिखित प्रस्तर	आडिट रिपोर्ट प्रस्तर जिन पर अनुपालन होना है	आडिट कमेटी द्वारा कार्यवाही की संस्तुति	आडिट प्रस्तर (अनिस्तारित)	आडिट प्रस्तर जिनके उत्तर संबंधित आहरण-वितरण अधिकारी से अप्राप्त हैं, विलम्ब के कारण
---------	-----------------------	-------------------------------	---	---	---------------------------	---

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

(बंशीधर तिवारी)
महानिदेशक

संख्या 829 (1)/सू.एवंलो.सं.वि.(प्रशा.)-35/2003, तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा) महालेखाकार भवन, कौलागढ़ रोड, देहरादून।
2. सचिव सूचना, उत्तराखण्ड शासन।
3. संबंधित अधिकारियों को।
4. लेखा प्रभाग को।
5. समस्त विभागीय अधिकारी/ प्रभाग/शाखायें, मुख्यालय।
6. विभागीय वेबसाईड हेतु।

(बंशीधर तिवारी)
महानिदेशक